



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032022-233804
CG-DL-E-02032022-233804

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 875]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2022/फाल्गुन 11, 1943

No. 875]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2022/PHALGUNA 11, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2022

का.आ. 905(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3997 (अ) तारीख 24 सितम्बर 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 28 सितम्बर 2021 में, प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कूड आइल पाइपलाइन परियोजनान्तर्गत मुन्द्रा (गुजरात) से एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पचपदरा, (राजस्थान) तक कच्चा तेल परिवहन के लिए गुजरात राज्य में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, (राजस्थान) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख — 16 अक्टूबर, 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, (राजस्थान) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, (राजस्थान) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तालुका : सान्तलपुर

जिला : पाटण

राज्य : गुजरात

क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	बाबरा	287 / 1	00	01	54
		207 / 1	00	36	55
		206 / 1	00	18	00
		202	00	08	23
		202 / पैकी2			
		202 / पैकी1	00	11	07
		133	00	08	04
		104	00	04	90
तालुका : रापर		जिला : कच्छ		राज्य : गुजरात	
1	पदमपर	156 / 2 / पैकी1	00	09	50
		156 / 2 / पैकी2			

[फा. सं. आर-11025/1/2019-ओआर-I/ई-32788]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2022

S.O. 905(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 3997 (E) Dated 24th September 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 28th September, 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Gujarat for transportation of Crude Oil from Mundra (Gujarat) to HPCL Rajasthan Refinery Limited, Pachpadra (Rajasthan), a Pipeline should be laid by HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 16th October 2021.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan) is free from all encumbrances.

HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TALUKA: SANTALPUR

DISTRICT: PATAN

STATE: GUJARAT

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
1	BABRA	287/1	00	01	54
		207/1	00	36	55
		206/1	00	18	00
		202	00	08	23
		202/P2			
		202/P1	00	11	07
		133	00	08	04
		104	00	04	90
TALUKA: RAPAR		DISTRICT: KACHCHH		SATATE: GUJARAT	
1	PADAMPAR	156/2/P1	00	09	50
		156/2/P2			

[F. No. R-11025/1/2019-OR-I/E-32788]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.